कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2024 / 240 दिनांक : 06/03/2024

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 17 / 2024 अनवानी सुभाष बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 17 / 2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रामनिवास पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल अप्रार्थी

2. ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मंगतुराम पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. दशरथ पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. श्योपति पत्नी दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 97 / 86 की कुल 2.9720 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 1 / 18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130 / 115 की कुल 4.6670 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2, 5 प्रत्येक के नाम 2427 / 46670 हिस्सा भूमि दर्ज है एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम 1201 / 23335 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 160 / 144 की कुल 0.9360 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 प्रत्येक का 1 / 18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम भोजाराम **के स्थान पर दीपाराम एवं अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी के स्थान पर श्योपति पत्नी दीपाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी एवं एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम भोजाराम व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी एवं एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम भोजाराम व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी एवं एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम भोजाराम व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पिता व पति का नाम भोजाराम के स्थान पर दीपाराम व अप्रार्थी संख्यसा 5 श्योकोरी के स्थान पर श्योपति दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रार्थीगण द्वारा नाम संशोधन बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता व पति का नाम दीपराम एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 का नाम श्योपति है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता व पति का नाम भोजाराम एवं अप्रार्थी संख्या 5 का नाम श्योकोरी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम भोजाराम के स्थान पर दीपाराम एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी की जगह श्योपति दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 97/86 की कुल 2.9720 हैक्ट भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/115 की कुल 4.6670 हैक्ट भूमि में प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 ता 5 प्रत्येक के नाम 2427/46670 हिस्सा भूमि दर्ज है एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम 1201/23332 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 160/144 की कुल 0.9360 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता व पति का नाम भोजाराम के स्थान पर दीपाराम एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी के स्थान पर श्योपति दर्ज करवाना चाहते हे। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 के पिता व पति का नाम दीपाराम एवं अप्रार्थी संख्या 5 का [illegible] द्वारा नाम संशोधन बाबत शपथ पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 1

[illegible]री (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 97/86 की कुल 2.9720 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/115 की कुल 4.6670 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2, 5 प्रत्येक के नाम 2427/46670 हिस्सा भूमि दर्ज है एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम 1201/23335 हिस्सा भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 160/144 की कुल 0.9360 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम भोजाराम **के स्थान पर दीपाराम एवं अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी के स्थान पर श्योपति पत्नी दीपाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी एवं एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम भोजाराम व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी एवं एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम भोजाराम व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी एवं एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता के नाम भोजाराम व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 श्योकोरी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 17/2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. रामनिवास पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल अप्रार्थी

2. ओमप्रकाश पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मंगतुराम पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. दशरथ पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. श्योपति पत्नी दीपाराम जाति मेघवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 05/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 97/86 की कुल 2.9720 हैक्ट भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/115 की कुल 4.6670 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2, 5 प्रत्येक के नाम 2427/46670 हिस्सा भूमि तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम 1201/23335 हिस्सा भूमि दर्ज है एवं तथा रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 160/144 की कुल 0.9360 हैक्ट भूमि में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 97/86 की कुल 2.9720 हैक्ट भूमि रोही मौजा चक 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/115 की कुल 4.6670 हैक्ट भूमि रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 160/144 की कुल 0.9360 हैक्ट भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सहवन से भोजाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों में पिता व पति का नाम दीपाराम दर्ज है तथा तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 का नाम श्योकोरी दर्ज हो गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 5 का नाम श्योपति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:12:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)